



③

न्यायालय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश केन्द्र ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2016 निगरानी

निग-3290 - P B 16

श्री रीनेश वासु अग्रि
द्वारा उज्जैन केन्द्र पर
प्रस्तुत।
23-9-16

गीताबाई पिता श्री जानकीदास बैरागी,
निवासी-ग्राम मीण तह. खाचरौद जिला उज्जैन
.....आवेदक

विरुद्ध

- चम्पादास पिता भैरुदास,

निवासी-ग्राम रूनखेड़ा तह. खाचरौद जिला उज्जैन
.....अनावेदकगण

23-9-16

पुनर्निर्माण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

आवेदक अधीनस्थ योग्य न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 711/15-16 मे पारित आदेश दिनांक 20/09/16 से असंतुष्ट एवं दुखी होकर निम्न कारणों के आधार पर पुनर्निर्माण आवेदन अंदर अवधि प्रस्तुत करता है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3290-पीबीआर / 16

जिला-उज्जैन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर एवं
6-12-16	<p>आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-9-2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा यह निष्कर्ष निकालते हुये कि कमलाबाई की मृत्यु के उपरांत उसकी बहन गीताबाई का नामान्तरण नियमों के विपरीत किये जाने के कारण स्थगन आवेदन निरस्त किया गया है, जिसमें प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।</p>	<p>(मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>

५७
५८
५९
६०
६१
६२
६३
६४
६५
६६
६७
६८
६९
७०
७१
७२
७३
७४
७५
७६
७७
७८
७९
८०
८१
८२
८३
८४
८५
८६
८७
८८
८९
९०
९१
९२
९३
९४
९५
९६
९७
९८
९९
१००

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
(मनोज गोयल)
अध्यक्ष

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५
३६
३७
३८
३९
४०
४१
४२
४३
४४
४५
४६
४७
४८
४९
५०
५१
५२
५३
५४
५५
५६
५७
५८
५९
६०
६१
६२
६३
६४
६५
६६
६७
६८
६९
७०
७१
७२
७३
७४
७५
७६
७७
७८
७९
८०
८१
८२
८३
८४
८५
८६
८७
८८
८९
९०
९१
९२
९३
९४
९५
९६
९७
९८
९९
१००